



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर
जिला नारायणपुर

दूरभाष (कार्यालय) 07781-252222

E-MailID - sdmnarayanpur@gmail.com

राजस्व प्रकरण क्रमांक /202504170400006/अ-62/2024-25

प्ररूप - ग
(नियम 3(2) देखिये)
अनुज्ञा

प्रति,

श्री सुकधर पिता श्री कट्टी जाति गोंड
निवासी ग्राम कोडोली, प.ह.न. 25
तहसील व जिला नारायणपुर (छ0ग0)

विषय:- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन इस कार्यालय को दिनांक 26.03.2025 को प्राप्त हुआ है। तद्संबंध में राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 07.04.2025 को ज्ञापन जारी किया गया, संयुक्त निरीक्षण पश्चात उक्त निरीक्षण का प्रतिवेदन दिनांक 30.04.2025 को प्राप्त हुआ, आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया उक्त तथ्यों के अनुसार स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है - आम-2, पीपल-2, सूमर-1, डुमर-1 सागौन 13 कुल 19 वृक्ष।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि भूमि खसरा क्रमांक 34 रकबा 4.2500 हे. भूमि पर ग्राम कोडोली, प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. बाकुलवाही, तहसील नारायणपुर में कुल 19 वृक्ष स्थित है। जिसमें शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या सागौन-04 तथा परिपक्व वृक्षों की प्रजाति और संख्या आम-02, पीपल-02, सेमर-02, डुमर-01, सागौन-08 कुल 15 वृक्ष स्थित है। कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या खसरा क्रमांक 34 रकबा 4.2500 हेक्टेयर में सागौन के कुल 04 वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतएव सागौन के 04 सुखे वृक्षों की कटाई हेतु अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

अनुज्ञा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
नारायणपुर



पृ० क्रमांक/ अ०वि०अ०(रा०)/प्रवाचक-1/2025

नारायणपुर दिनांक 23/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला नारायणपुर, को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल नारायणपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार नारायणपुर को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा०)
नारायणपुर